मूल बीमा कंपनी लिमिटेड और एक अन्य v.

247

परमानेंट लोक अदालत और एक और (विनोद एस. भारद्वाज, जे.)

विनोद एस. भारद्वाज से पहले, जे.

मूल बीमा कंपनी लिमिटेड और

एक और-याचिकाकर्ता

बनाम

स्थायी लोक सलाहकार और एक और-उत्तरदाता

और

वरुण भसीन-याचिकाकर्ता

बनाम

अध्यक्ष स्थायी लोक अदालत, चंडीगढ़

और अन्य-उत्तरदाता

2022 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 16427 और 2022 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 25127

05 दिसंबर, 2023

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226-कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987-धारा 22-सी-दुर्घटना के कारण कार को नुकसान-बीमा कंपनी के साथ-साथ दावेदार द्वारा दायर लिखित याचिकाएं-निजी कार पैकेज पॉलिसी के तहत बीमित वाहन लेकिन एक टैक्सी/वाणिज्यिक उद्देश्य के रूप में उपयोग किया जा रहा था जो स्थायी लोक अदालत से पहले अच्छी तरह से स्थापित था-हालाँकि, स्थायी लोक अदालत ने दावेदार द्वारा नियमों और शर्तों के उल्लंघन को पहचानने के बावजूद गैर-मानक आधार पर दावेदार के दावे के 50 प्रतिशत की अनुमति दी-दावेदार का तर्क कि यदि वाहन के चालक ने उठाया है कुछ यात्री बीमा कंपनी द्वारा जारी निर्देशों के विपरीत, उल्लंघन को बीमा पॉलिसी के नियमों और शर्तों का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है और बीमा पॉलिसी के लाभ से इनकार नहीं किया जा सकता है। यह अभिनिर्धारित किया गया कि गैर-मानक आधार पर मुआवजे का दावा करने के लिए किसी व्यक्ति की पात्रता किसी व्यक्ति के बचाव के लिए तभी आएगी जब इस तरह का उल्लंघन तकनीकी प्रकृति का हो और बीमा पॉलिसी के सामग्री/आवश्यक नियमों और शर्तों का उल्लंघन न हो-बीमा अनुबंध एक अनुबंध है और बीमित व्यक्ति की ओर से पूर्ण सद्भावना होनी चाहिए, जो प्रस्ताव स्वीकार करने से पहले जारीकर्ता के लिए प्रासंगिक सामग्री तथ्यों का पूर्ण प्रकटीकरण करने के लिए एक गंभीर दायित्व के तहत है-जब बीमा कंपनी द्वारा जोखिम की हामीदारी कुछ बहिष्करणों के अधीन है और उल्लंघन की घटना ही है। एक अपवर्जन, एक अदालत के लिए यह अभिनिर्धारित करना उचित नहीं होगा कि इस तरह के उल्लंघन के बावजूद, बीमा कंपनी 248

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

स्थायी लोक अदालत द्वारा पारित विवादित पुरस्कार ने दावेदार के दावे के 50 प्रतिशत को अलग करने की अनुमति दी। बीमा कंपनी द्वारा दायर 2022 की सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 16427 की अनुमति दी गई और दावेदार-आवेदक द्वारा दायर 2022 की सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 25127 को खारिज कर दिया गया। याचिकाकर्ता सी. डब्ल्यू. पी.-16427-2022 और सी. डब्ल्यू. पी.-25127-2022 में उत्तरदाता संख्या 2 और 3 के लिए अर्जुन कुंद्रा, अधिवक्ता।

सी. डब्ल्यू. पी.-25127-2022 में याचिकाकर्ता की ओर से और सी. डब्ल्यू. पी.-16427-2022 में प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से जोसेफ के. माशी, अधिवक्ता और नीलाक्षी जोसेफ, अधिवक्ता।

(2) संदर्भ की सुविधा के लिए, सी. डब्ल्यू. पी.-16427-2022 से तथ्यों को निकाला जा रहा है जिसका शीर्षक है "ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और एक अन्य बनाम स्थायी लोक अदालत और एक अन्य"। (3) प्रतिवादी-याचिकाकर्ता-वरुण भसीन (संबंधित सी. डब्ल्यू. पी.-25127-2022 में याचिकाकर्ता) ने कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22-सी के तहत स्थायी लोक अदालत (सार्वजनिक उपयोगिता सेवा), चंडीगढ़ के समक्ष एक आवेदन दायर किया, जिसमें याचिकाकर्ता-बीमा कंपनी को नुकसान की तारीख से प्रति वर्ष 18 प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ-साथ उत्पीड़न और मानसिक पीड़ा के मुआवजे के साथ-साथ मुकदमेबाजी शुल्क सहित अन्य शुल्कों के साथ कार के लिए बीमित राशि के लिए रु. 3,00,000 का भुगतान करने का निर्देश देने की मांग की गई। यह अनुमान लगाया गया था कि प्रत्यर्थी-आवेदक ने पंजीकरण No.CH-01-BN-4786, मॉडल 2013 वाली मारुति डिजायर कार खरीदी थी। उक्त कार का बीमा याचिकाकर्ता-बीमा कंपनी के साथ No.231291/31/2018/759 पॉलिसी के माध्यम से किया गया था जो 20.11.2018 से 19.11.2019 तक वैध थी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के जंबल निवासी सुरेंद्र सिंह के बेटे रेवंत कुमार को प्रतिवादी-आवेदक द्वारा चालक के रूप में नियुक्त किया गया था और उसके पास लाइसेंस प्राधिकरण ईजेड-II, सूरजमल विहार, दिल्ली द्वारा जारी मोटरसाइकिल और एलटीवी-एनटी के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस No.DL-1320160204220 दिनांक 19.01.2016 था। उक्त चालक को प्रतिवादी-आवेदक के व्यक्तिगत काम के लिए दिल्ली भेजा गया था।

उन्होंने दिल्ली से मूल बीमा कंपनी लिमिटेड और एक और वी. पर शुरुआत की।

249

परमानेंट लोक अदालत और एक और (विनोद एस. भारद्वाज, जे.)

25.06.2019 लगभग 06.00 बजे और उनके साथ उनके भाई चमन लाल थे। जब वे सुबह लगभग 12.15 पर गाँव कम्बोपुरा (करनाल) के पास पहुंचे, तो उक्त कार बिना उचित संकेत दिए, सड़क के बीच में खड़े पंजीकरण No.HR-05-AN-4164 वाले ट्रैक्टर से एक ट्रॉली के पीछे से टकरा गई। नतीजतन, उक्त दुर्घटना में कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि चालक रेवंत कुमार को गंभीर चोटें आईं और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। आई. पी. सी. की धारा 283,337 और 304-ए के तहत दोषी ट्रैक्टर-ट्रॉली के चालक के खिलाफ पुलिस स्टेशन मधुबन, जिला करनाल में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसके बाद क्षतिग्रस्त कार को मेसर्स सिरसा मोटर गैरेज, सेक्टर 48-सी, मोटर मार्केट, चंडीगढ़ में लाया गया जहां नुकसान का अनुमान तैयार किया गया। इसके बाद, नुकसान का आकलन करने और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक सर्वेक्षणकर्ता नियुक्त किया गया। प्रत्यर्थी-आवेदक का दावा है कि वह जांचकर्ता/सर्वेक्षणकर्ता के साथ विधिवत जुड़ा हुआ है और उसने सभी प्रकार का सहयोग दिया है। सर्वेक्षणकर्ता द्वारा मांगी गई आवश्यक जानकारी प्रदान करने के बावजूद, दावा जारी नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, जिसके अनुसार स्थायी लोक अदालत के समक्ष आवेदन दायर किया गया था। (4) नोटिस पर, याचिकाकर्ता-बीमा कंपनी ने स्थायी लोक अदालत के समक्ष उपस्थिति दर्ज की और बीमा पॉलिसी के नियमों और शर्तों के उल्लंघन और खंड "उपयोग के रूप में सीमा" के विशिष्ट संदर्भ के साथ अपना लिखित जवाब दायर किया। विचाराधीन वाहन प्रतिवादी-आवेदक-वरुण भसीन के नाम पर एक निजी कार के रूप में पंजीकृत था और उपरोक्त अवधि के लिए निजी कार पैकेज पॉलिसी के तहत इसका बीमा किया गया था। बीमा पॉलिसी में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि कार का उपयोग "किराया और इनाम" के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाना है, हालांकि, बीमित कार का उपयोग "किराया और इनाम" के लिए किया जा रहा था। उक्त पहलू मृतक रेवंत कुमार के भाई चमन लाल द्वारा पुलिस स्टेशन मधुबन, जिला करनाल में दर्ज की गई एफ़. आई. आर. No.223 दिनांक 26.06.2019 की सामग्री से समर्थित है। पुलिस जांच रिपोर्ट और कार में यात्रा कर रहे अन्य सह-यात्री यश गोयल के बयान के अनुसार, जो Cr.P.C की धारा 161 के तहत दर्ज किया गया है, उन्होंने पुष्टि की कि उपरोक्त कार का उपयोग किराए पर लेने के लिए टैक्सी के रूप में किया जा रहा था और ₹2,200/- की राशि में दिल्ली से पंचकूला जाने के लिए 25.06.2019 पर पुरस्कार के उद्देश्य से किया जा रहा था। उक्त यात्री को भी चोटें आई थीं और उसे कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज, करनाल में भर्ती कराया गया था, जहाँ से उसे चंडीगढ़ अस्पताल, सेक्टर 12 और फिर मैक्स अस्पताल, मोहाली रेफर कर दिया गया था। याचिकाकर्ता-बीमा कंपनी ने यह भी दावा किया कि उसने प्रतिवादी-आवेदक को उपरोक्त 250 को स्पष्ट करने के लिए 06.05.2020 और 10.07.2020 दिनांकित विभिन्न पत्र लिखे हैं।

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

हालाँकि, दावे में उत्पन्न होने वाली विसंगतियाँ, प्रतिवादी-आवेदक ने उसी का जवाब नहीं देने का फैसला किया। नतीजतन, प्रत्यर्थी-आवेदक के दावे को अस्वीकार कर दिया गया। यह भी प्रस्तुत किया गया कि प्रतिवादी-आवेदक ने स्वीकार किया था कि रेवंत कुमार एक सशुल्क चालक था और उसका मोबाइल नंबर 98760-82344 है। उक्त मोबाइल नंबर टैक्सी सेवाओं की बुकिंग के लिए इंटरनेट पर भी उपलब्ध है। ये दोनों तथ्य प्रत्यर्थी-आवेदक द्वारा प्रस्तुत और अनुलग्नक आर-7 के रूप में संलग्न मोटर दावा प्रपत्र की प्रति, अनुलग्नक आर-8 के रूप में संलग्न बुकिंग टैक्सी सेवा की प्रति के साथ-साथ अनुलग्नक आर-9 के रूप में संलग्न प्रत्यर्थी-आवेदक के बयान की प्रति और जवाब के साथ अनुलग्नक आर-10 के रूप में पुलिस को दिए गए चमन लाल के बयान की प्रति से स्थापित होते हैं। इस प्रकार दावेदार को पर्याप्त अवसर देने और संतोषजनक जवाब पाने में विफल रहने के बाद दावे को अस्वीकार कर दिया गया। स्थापित तथ्य यह है कि विचाराधीन वाहन का उपयोग एक निजी वाहन के रूप में पंजीकृत होने और निजी कार पैकेज नीति के तहत बीमित होने के बावजूद टैक्सी के रूप में किया जा रहा था। बीमित वाहन की नंबर प्लेट भी एक पीली नंबर प्लेट को दर्शाती थी, जिसका उपयोग निजी वाहन के रूप में नहीं बल्कि टैक्सी के रूप में किए जाने वाले वाहनों द्वारा किया जाता है। (5) पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत संबंधित निवेदन पर विचार करने पर, प्रत्यर्थी-आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन को आंशिक रूप से अनुमति दी गई थी और याचिकाकर्ता-बीमा कंपनी को गैर-मानक आधार पर दावे का 50 प्रतिशत भुगतान करने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया था और मानसिक और शारीरिक पीड़ा के साथ-साथ उत्पीड़न के लिए 5,000 रुपये का मुआवजा भी दिया गया था। (6) इससे आहत होकर वर्तमान याचिकाएं दायर की गई हैं। जबकि सी. डब्ल्यू. पी.-16427-2022 बीमा कंपनी द्वारा दावा आवेदन को आंशिक रूप से अनुमति दिए जाने के खिलाफ दायर किया गया है और बीमा कंपनी को दावे का 50 प्रतिशत भुगतान करने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया है; प्रतिवादी-आवेदक ने सी. डब्ल्यू. पी.-25127-2022 को प्राथमिकता देते हुए दावा किया कि पूरे दावे की राशि उसे जारी की जानी चाहिए थी और स्थायी लोक अदालत (सार्वजनिक उपयोगिता सेवा), चंडीगढ़ द्वारा पारित आदेश आंशिक रूप से आवेदन को अनुमति देना गलत और त्रुटिपूर्ण था। (7) याचिकाकर्ता-बीमा कंपनी के वकील ने पॉलिसी दस्तावेज़ के साथ-साथ कवर नोट का उल्लेख किया है, जिसमें बीमा निजी कार पैकेज पॉलिसी ज़ोन-बी के तहत जारी किया गया था, जिसके अनुसार, "उपयोग करने की सीमाएँ" शीर्षक के तहत, निम्नलिखित के लिए प्रावधान किया गया हैः

“उपयोग की सीमाएँः

मूल बीमा कंपनी लिमिटेड और एक अन्य v.

251

परमानेंट लोक अदालत और एक और (विनोद एस. भारद्वाज, जे.)

1. इस नीति में ए) किराया या पुरस्कार के अलावा किसी भी उद्देश्य के लिए वाहन का उपयोग शामिल है। ख) माल की ढुलाई (नमूने या व्यक्तिगत सामान के अलावा) संगठित दौड़ घ) गति निर्माण ङ) गति परीक्षण च) विश्वसनीयता परीक्षण छ) मोटर व्यापार के संबंध में उपयोग। ड्राइवरः बीमित व्यक्ति सहित कोई भी व्यक्ति। बशर्ते कि गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति दुर्घटना के समय एक प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस रखता है और ऐसा लाइसेंस रखने या प्राप्त करने के लिए अयोग्य नहीं है। बशर्ते कि प्रभावी लर्नर्स लाइसेंस रखने वाला व्यक्ति भी वाहन चला सकता है और ऐसा व्यक्ति केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 3 की आवश्यकताओं को पूरा करता है। ”

(जोर दिया गया)

(8) इसके बाद सुरेंद्र कुमार के बेटे चमन लाल के बयान पर पुलिस स्टेशन मधुबन, जिला करनाल में दर्ज प्राथमिकी No.223 का संदर्भ दिया गया, जिसमें उल्लेख किया गया था कि दुर्घटना की तारीख पर, वह और उसका भाई (मृतक रेवंत कुमार) उक्त कार में दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे एक अन्य "यात्री" के साथ यात्रा कर रहे थे। उक्त एफ़. आई. आर. में उनके द्वारा यह भी कहा गया था कि उन्होंने कहा कि दुर्घटना में "यात्री" को चोटें आई हैं। उक्त "यात्री" अर्थात् बलदेव के पुत्र यश गोयल का बयान भी दर्ज किया गया था और इसे अनुलग्नक पी-3 के रूप में संलग्न किया गया है। उसी का प्रासंगिक उद्धरण नीचे दिया गया हैः

25.06.2019 शाम को, मैंने दिल्ली से पंचकूला जाने के लिए No.CH-01BN-4786 मार्क स्विफ्ट डेज़ायर वाली एक कार किराए पर ली थी। उक्त कार रेवंत कुमार नामक व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा था और मैं पीछे की सीट पर बैठा था।

(जोर दिया गया)

(9) उन्होंने प्रतिवादी-आवेदक-वरुण भसीन द्वारा प्रस्तुत मोटर दावा प्रपत्र का भी उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि श्री रेवंत कुमार एक सशुल्क चालक थे और उनके मोबाइल नंबर का भी प्रपत्र पर 9876082334 के रूप में उल्लेख किया गया था। "कुमार कैब सर्विसेज" के नाम और शैली के तहत ऑनलाइन कैब सेवाओं का भी संदर्भ दिया गया था, जिसमें उपरोक्त मोबाइल नंबर को भारत में कैब सेवाएं प्रदान करने के लिए संपर्क संख्या के रूप में अपलोड किया गया है। उन्होंने प्रत्यर्थी-आवेदक के बयान का भी उल्लेख किया, जिसमें प्रत्यर्थी-आवेदक 252

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

लिमिटेड बनाम मीना अग्रवाल ने सिविल अपील No.396 में पारित किया 1999 23.01.2009 पर निर्णय लिया। उसी का प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार हैः

“3. संक्षेप में पृष्ठभूमि के तथ्य इस प्रकार हैंः प्रत्यर्थी एक वाहन-एक मारुति वैन का मालिक था जो वर्तमान अपीलार्थी के साथ 27.1.2003 से 26.1.2004 तक की अवधि के लिए बीमा का विषय था। विचाराधीन वाहन 12.6.2003 पर दुर्घटना का शिकार हो गया और बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। मरम्मत की लागत का अनुमान बिलासपुर के ऑटोमोबाइल सत्या द्वारा तैयार किया गया था। उनके अनुसार वाहन की कुल मरम्मत पर अनुमानित खर्च रु. 2,00,000-था। शिकायतकर्ता द्वारा वर्तमान अपीलार्थी को इसकी सूचना दी गई थी और दावा किया गया था। इसे इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि वाहन के चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था और वाहन जो एक निजी वाहन था, उसका व्यक्तिगत उपयोग के लिए बीमा किया गया था, लेकिन शादी की पार्टियों को ले जाने के लिए टैक्सी के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था।

एक विवाह समारोह मूल बीमा कंपनी लिमिटेड और एक अन्य बनाम था।

253

परमानेंट लोक अदालत और एक और (विनोद एस. भारद्वाज, जे.)

XXX XXX XXX 9. हम पाते हैं कि राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग ने व्यावहारिक रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कोई कारण नहीं बताया है कि नीति की शर्तों का कोई मौलिक उल्लंघन नहीं हुआ था। राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग दोनों ने देखा कि वाहन एक ऐसे व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा था जिसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। इसके अलावा व्यक्तिगत उपयोग के लिए बीमित वाहन का उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था।

254

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

10. किसी भी दृष्टिकोण से देखें तो राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग के विवादित आदेश अस्थिर हैं, जिन्हें हम अलग करने के योग्य हैं। कोई लागत नहीं। ”

(जोर दिया गया)

1992 का No.69 जिसका शीर्षक न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी बनाम अनिल कुमार था और अन्य लोगों ने 10.08.1999 पर फैसला किया। इसका प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार हैः

“20. वर्तमान मामले को तय करने के उद्देश्य से तथ्यात्मक और कानूनी स्थिति का विश्लेषण करने के बाद, वाहन किराए या इनाम के लिए चलने के परमिट के दायरे में नहीं आता है और यह एक निजी वाहन था जो किसी भी यात्री को किराए या इनाम के लिए ले जाने के लिए नहीं था। यह स्वयं वाहन का मालिक है जिसने वाहन दिया/वाहन को किराए या इनाम के लिए यात्रियों को ले जाने के लिए टैक्सी के रूप में उपयोग करने की अनुमति दी और इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि उसने नीति की शर्त का उल्लंघन नहीं किया है जो वैसा ही है जैसा कि वैधानिक प्रावधानों द्वारा अनुमति नहीं दी गई है। अपीलार्थी कंपनी ने यह स्थापित किया है कि उल्लंघन बीमित व्यक्ति की ओर से किया गया था और हम पाते हैं कि यह बीमित व्यक्ति था जो किराए या पुरस्कार के लिए टैक्सी के रूप में उपयोग करने के लिए एक निजी वाहन को सौंपकर अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करने या उल्लंघन करने का दोषी था, जो पॉलिसी की निर्दिष्ट शर्त का मौलिक उल्लंघन है और धारा 96 (2) (बी) (i) (ए) के तहत बहिष्करण खंड स्पष्ट रूप से अपीलार्थी कंपनी द्वारा वाहन क्षतिपूर्ति के प्रतिवादी मालिक को अस्वीकार करने वाले मामले में लागू होगा। ”

(जोर दिया गया)

(12) राजेंद्र बनाम कमला और 1999 के No.FAO-2385 वाले अन्य लोगों के मामले में इस न्यायालय के फैसले का आगे संदर्भ दिया गया है। उसी का प्रासंगिक उद्धरण नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

“5. विद्वत न्यायाधिकरण ने मुद्दा संख्या 1 तैयार किया "क्या बलवान की मृत्यु उतावलापन और गाड़ी चलाने में लापरवाही के कारण हुई? ओपीपी। रमेश और दिलबाग, क्रमशः पीडब्लू 3 और पीडब्लू 4 के रूप में दिखाई दिए, अपमानजनक जीप में यात्रियों के रूप में यात्रा कर रहे थे।

उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जीप मूल बीमा कंपनी लिमिटेड थी।

255

परमानेंट लोक अदालत और एक और (विनोद एस. भारद्वाज, जे.)

तेज गति और उतावलापन के कारण चालक द्वारा जीप को नियंत्रित नहीं कर पाने के कारण उसे जल्दबाजी और लापरवाही से चलाया गया, जिससे यह कछुआ बन गई। विद्वत न्यायाधिकरण ने दावेदार के पक्ष में और चालक और मालिक के खिलाफ इस मुद्दे का फैसला किया। इसके अलावा यह विशेष रूप से पीडब्लू2 हरचंद के बयान में आया है, जो दुर्घटना के समय आपत्तिजनक जीप में यात्रा कर रहे थे, कि जीप राजमल द्वारा बुक की गई थी, जो शादी की पार्टी के लिए जीप बुक करने के लिए पानीहारी गए थे। पी. डब्ल्यू. 3 रमेश और पी. डब्ल्यू. 4 दिलबाग सिंह ने भी इसकी पुष्टि की। उसी को ध्यान में रखते हुए, यह रिकॉर्ड पर साबित होता है कि उल्लंघन करने वाले वाहन यानी जीप का उपयोग किराए और इनाम के उद्देश्य से किया जा रहा था। ”

(जोर दिया गया)

(13) रवि कुमार पुत्र जीवन प्रसाद गुप्ता बनाम ओम प्रकाश तिवारी के पुत्र आशुतोष और अन्य के मामले में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के फैसले पर और अधिक भरोसा किया गया है। (ग) 2013 का No.74 15.02.2019 पर तय किया गया। “11. उपरोक्त साक्ष्य और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर विचार करने से यह स्पष्ट होता है कि उल्लंघन करने वाला वाहन किराए पर लिया गया था और दावेदार अन्य व्यक्तियों के साथ दौरे पर गया था। हालाँकि उल्लंघन करने वाला वाहन निजी वाहन के रूप में पंजीकृत था, लेकिन 'टैक्सी' के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था, जो बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन है, इसलिए बीमा कंपनी को मुआवजे की किसी भी राशि के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि वाहन में यात्रियों को ले जाने के लिए कोई प्रीमियम नहीं लिया गया है। हाथ में मामले में, किराए पर वाहन पर यात्रा करने वाले यात्रियों की चोट/मृत्यु की भरपाई के लिए बीमाकर्ता और बीमाकृत के बीच अनुबंध की कोई गोपनीयता नहीं है।

12. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय की राय में, विद्वत दावा न्यायाधिकरण ने बीमा कंपनी को मुआवजे का भुगतान करने के अपने दायित्व से मुक्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है और उल्लंघन करने वाले वाहन के मालिक को मुआवजे का भुगतान करने का दायित्व उचित रूप से तय किया है।

(जोर दिया गया)

(14) याचिकाकर्ता-बीमा कंपनी के वकील द्वारा कोई अन्य तर्क नहीं दिया गया है।

256

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

(15) दूसरी ओर, प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि विचाराधीन पुरस्कार में संशोधन किया जा सकता है और प्रत्यर्थी-आवेदक अपने द्वारा किए गए कुल/पूर्ण नुकसान की प्रतिपूर्ति का हकदार है। विद्वान वकील द्वारा आगे यह तर्क दिया जाता है कि वाहन के चालक के पास एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस था और बीमा कंपनी केवल इसलिए अपने दायित्व से इनकार नहीं कर सकती क्योंकि कोई अन्य व्यक्ति भी वाहन में बैठा था। यह तर्क दिया जाता है कि अभिलेख पर कोई सबूत उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पर यह माना जा सकता है कि वाहन को टैक्सी के रूप में संचालित किया जा रहा था। इसके अलावा, केवल इसलिए कि प्रतिवादी-आवेदक भी एक टैक्सी संचालक के रूप में व्यवसाय कर रहा है, यह अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता है कि दुर्घटना के समय विचाराधीन वाहन का उपयोग वास्तव में टैक्सी के रूप में भी किया जा रहा था। उन्होंने आगे तर्क दिया कि यदि वाहन के चालक ने याचिकाकर्ता-बीमा कंपनी द्वारा जारी निर्देशों के विपरीत किसी यात्री को उठाया है, तो बीमा पॉलिसी के लाभ से इनकार नहीं किया जा सकता है। वे जितेंद्र कुमार बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य 1 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हैं। उसी का प्रासंगिक उद्धरण नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

“7. हमने उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील को सुना है जिन्होंने राज्य आयोग के साथ-साथ राष्ट्रीय आयोग के आदेशों का समर्थन किया है। जहाँ तक इस मामले के तथ्यों का संबंध है, शायद ही कोई विवाद है, इसलिए हम इस आधार पर सुरक्षित रूप से आगे बढ़ सकते हैं कि विचाराधीन वाहन यांत्रिक खराबी के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था और चालक की कोई गलती नहीं थी। तर्क के उद्देश्य से, हम इस आधार पर भी आगे बढ़ सकते हैं कि कार के चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। फिर सवाल यह हैः क्या बीमा कंपनी उस वाहन के मालिक द्वारा किए गए दावे को अस्वीकार कर सकती है जो कंपनी के साथ विधिवत बीमित है, केवल इस आधार पर कि वाहन के चालक, जिसका दुर्घटना से कोई लेना-देना नहीं था, के पास वैध लाइसेंस नहीं था? इस प्रश्न का उत्तर, हमारी राय में, नकारात्मक होना चाहिए। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 149, जिस पर राज्य आयोग द्वारा निर्भरता रखी गई थी, हमारी राय में, उस दावे को अस्वीकार करने में बीमा कंपनी की सहायता के लिए नहीं आती है जिसमें वाहन के चालक ने दुर्घटना में किसी भी तरह से योगदान नहीं दिया था। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 149 (2) (ए) (ii)

1 2003 (6) एस. सी. सी. 420 द ओरिएंटल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड और एक और वी.

257

परमानेंट लोक अदालत और एक और (विनोद एस. भारद्वाज, जे.)

8. यह बीमा कंपनी को उन कार्यों के कारण हुए नुकसान के दावे को अस्वीकार करने का अधिकार नहीं देता है, जिनके लिए चालक ने किसी भी तरह से योगदान नहीं दिया है, यानी चालक के कार्य के अलावा अन्य कारणों से हुए नुकसान। 9. हम देखते हैं कि विवादित आदेश में राष्ट्रीय आयोग ने न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है, जिसका, हमारी राय में, मामले के इस पहलू पर कोई असर नहीं है। उक्त मामले में इस अदालत ने कहा कि नकली ड्राइविंग लाइसेंस जब वास्तव में नवीनीकृत किया जाता है, तो यह वास्तविक लाइसेंस की वैधता प्राप्त नहीं करता है। कानून के इस प्रस्ताव पर कोई विवाद नहीं हो सकता है। लेकिन फिर न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय का निर्णय उस कानून को निर्धारित करने की सीमा तक नहीं जाता है जो बीमा कंपनी को बीमित (अपीलार्थी) के किसी भी और हर दावे को केवल इसलिए अस्वीकार करने का अधिकार देता है क्योंकि उसने एक ऐसे चालक को नियुक्त किया था जिसके पास वैध लाइसेंस नहीं था। तत्काल मामले में, यह पक्षकारों का मामला है कि आग लगने से वाहन को नुकसान यांत्रिक विफलता के कारण हुआ, न कि किसी गलती या कार्य या चालक की चूक के कारण। इसलिए, हमारी सुविचारित राय में बीमा कंपनी अपीलार्थी के दावे को अस्वीकार नहीं कर सकती थी।

मेसर्स ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड हसन 2 का प्रासंगिक उद्धरण उसी को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः “7. बीमा पॉलिसी की शर्तों से यह स्पष्ट है कि बीमित वाहन चालक को छोड़कर 6 श्रमिकों को ले जाने का हकदार था। यदि वाहन में यात्रा करते समय उन 6 श्रमिकों को दुर्घटना होने पर बीमा कंपनी के दृष्टिकोण से कोई जोखिम नहीं माना जाता है, तो वे जोड़े गए व्यक्ति 2 1996 (4) एस. सी. सी. 647 258 कैसे हो सकते हैं।

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

"......जब विकल्प किसी ऐसे दृष्टिकोण को चुनने के बीच है जो एक ओर दुर्घटनाओं के पीड़ितों या उनके आश्रितों के संकट और दुर्दशा को दूर करेगा और दूसरी ओर समान रूप से प्रशंसनीय दृष्टिकोण जो व्यावसायिक गतिविधि के माध्यम से बीमाकर्ता द्वारा किए गए व्यावसायिक खतरे के संबंध में उसकी लाभप्रदता को कम करेगा, तो शायद ही कोई विकल्प हो। न्यायालय पूर्व दृष्टिकोण का चयन किए बिना नहीं रह सकता है। यहां तक कि अगर कोई सख्ती से सैद्धांतिक दृष्टिकोण रखता है, तो भी वही निष्कर्ष प्रावधान के 'मुख्य उद्देश्य' के आलोक में बहिष्करण खंड को 'पढ़ने' के सिद्धांत के प्रति सम्मान में सामने आएगा ताकि 'बहिष्करण खंड' को पहले उजागर किया जा सके। मुख्य उद्देश्य पर बहिष्करण खंड को सफलतापूर्वक दबाने की अनुमति देने के बजाय दोनों में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास होना चाहिए। जिस सिद्धांत को किसी समर्थन की आवश्यकता नहीं है, वह कार्टर के "अनुबंध के उल्लंघन" द्वारा पैराग्राफ 251 द्वारा समर्थित है। उद्धृत करने के लिएः दायित्वों को परिभाषित करने के लिए काम करने वाले बहिष्करण खंडों के लिए सहमत होने के लिए अनुबंध करने वाले दलों की सामान्य क्षमता के बावजूद एक नियम मौजूद है, जिसे आमतौर पर "मुख्य उद्देश्य नियम" के रूप में संदर्भित किया जाता है, जो एक प्रतिज्ञाकर्ता के संविदात्मक दायित्वों को परिभाषित करने वाले बुद्धिमान बहिष्करण खंडों के अनुप्रयोग को सीमित कर सकता है। उदाहरण के लिए, ग्लिन बनाम मार्गटसन एंड कंपनी में।

मूल बीमा कंपनी लिमिटेड और एक अन्य v.

259

परमानेंट लोक अदालत और एक और (विनोद एस. भारद्वाज, जे.)

8. राष्ट्रीय आयोग ने बहिष्करण खंड के सख्त निर्माण के लिए कदम उठाया। यह तर्क कि माल वाहन में ले जाए जा रहे अतिरिक्त यात्रियों का दुर्घटना की घटना में किसी भी तरह से योगदान नहीं हो सकता था, पर मुश्किल से ध्यान दिया गया और बिना किसी प्रशंसनीय खाते के खारिज कर दिया गया; तब भी जब केवल वाहन को नुकसान सीमित करने का दावा प्रकृति में सीमित था। इस प्रकार, हमारा विचार है कि स्कंदिया के मामले के अनुसार, बीमा पॉलिसी की उपरोक्त बहिष्करण अवधि को पढ़ा जाना चाहिए ताकि पॉलिसी के मुख्य उद्देश्य को पूरा किया जा सके जो वाहन को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति है, जो हम एतद्द्वारा करते हैं। 9. उपरोक्त दृष्टिकोण के लिए, इस अपील की अनुमति है, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नई दिल्ली के निर्णय और आदेश को दरकिनार कर दिया गया है और राज्य आयोग के निर्णय को पूरी तरह से बहाल कर दिया गया है, लेकिन लागत के रूप में किसी भी आदेश के बिना। ”

लिमिटेड और अन्य बनाम परेश मोहनलाल परमार 3। प्रासंगिक 3 2020 (1) आर. सी. आर (सिविल) 1006 260

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

उसी का उद्धरण नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः “10. इस न्यायालय के निर्णय के लिए वकील द्वारा भरोसा किया गया

“10. ऐसा मानने के बाद, एस. सी. डी. आर. सी. इस निष्कर्ष पर भी पहुंचा कि बहिष्कार किसी भी स्थिति में आकर्षित नहीं होगा। इस तरह के बहिष्करण खंड की व्याख्या के संबंध में एस. सी. डी. आर. सी. का निष्कर्ष स्पष्ट रूप से हरचंद राय में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के विपरीत है। हालाँकि, उस व्याख्या की प्रासंगिकता उत्पन्न हुई होगी बशर्ते बीमित व्यक्ति को बहिष्करण की शर्तें प्रदान की गई हों। एन. सी. डी. आर. सी. जिला मंच और एस. सी. डी. आर. सी. दोनों के समवर्ती निष्कर्षों से चूक गया कि बीमित व्यक्ति को बहिष्करण की शर्तों के बारे में नहीं बताया गया था। यदि उन शर्तों को बीमित व्यक्ति को ज्ञात नहीं किया गया था, जैसा कि समवर्ती निष्कर्ष है, तो एन. सी. डी. आर. सी. के लिए इस तरह के बहिष्कार के प्रभाव पर निर्णय देने का कोई अवसर नहीं था। ” 11. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए हमारी राय है कि किसी अन्य मुद्दे पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अपीलार्थी की अपील उपरोक्त आधार पर खारिज की जा सकती है। ”

बनाम द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने 22.02.2000 पर निर्णय लिया। उसी का प्रासंगिक उद्धरण नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः "कानून की उपरोक्त स्थिर स्थिति को देखते हुए हमारी राय है कि राष्ट्रीय आयोग द्वारा व्यक्त किया गया दृष्टिकोण सही नहीं है।

उपरोक्त शर्तों के अनुसार और मूल बीमा कंपनी लिमिटेड. और एक और v.

261

परमानेंट लोक अदालत और एक और (विनोद एस. भारद्वाज, जे.)

मानक पॉलिसी की शर्तें जिसमें अपवर्जन खंड शामिल किया गया था, न तो बीमा अनुबंध का हिस्सा थे और न ही अपीलार्थी प्रत्यर्थी को बताए गए थे, उक्त अपवर्जन खंड के लाभ का दावा नहीं कर सकते।

(21) मैंने संबंधित पक्षों के विद्वान वकील को सुना है और उनकी सक्षम सहायता के साथ केस फाइल पर उपलब्ध दस्तावेजों और रिकॉर्ड को देखा है। (22) अभिवचनों के साथ-साथ साक्ष्य से जो निर्विवाद तथ्य सामने आते हैं, वे हैंः

(i) विचाराधीन वाहन एक निजी वाहन के रूप में पंजीकृत था और दुर्घटना के समय निजी कार पैकेज पॉलिसी के तहत बीमा किया गया था। (ii) मृतक रेवंत कुमार के भाई चमन लाल के बयान पर करनाल जिले के मधुबन पुलिस स्टेशन में No.223 दिनांकित 26.06.2019 प्राथमिकी दर्ज की गई थी। ((iii) उक्त एफ. आई. आर. के साथ-साथ चमन लाल और प्रतिवादी-आवेदक-वरुण भसीन के बयान में भी यह निर्विवाद रहा है कि वाहन में एक और व्यक्ति (यात्री) यात्रा कर रहा था। जबकि प्रत्यर्थी-आवेदक द्वारा लिया गया बचाव यह है कि उक्त यात्री "किराया और इनाम" के लिए यात्री नहीं था। यह निर्विवाद रहा है कि उक्त यात्री यश गोयल का बयान जांच एजेंसी द्वारा दर्ज किया गया था और उसने विशेष रूप से कहा था कि उसने दिल्ली से पंचकूला जाने के लिए उपरोक्त वाहन को 2,200 रुपये की राशि में किराए पर लिया था। दाखिल जवाब में उपरोक्त बयान और दस्तावेजों की वैधता से इनकार या विवाद नहीं किया गया है और केवल यह बचाव किया गया है कि उक्त बयान Cr.P.C की धारा 161 के तहत एक बयान है और इसे अभी तक अदालत में साबित नहीं किया गया है।

262

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

(iv) इसके अलावा प्रत्यर्थी-आवेदक ने इस तथ्य पर भी विवाद नहीं किया है कि प्रत्यर्थी-आवेदक एक टैक्सी ऑपरेटर है और वह अपने मोबाइल नंबर का उपयोग कर रहा था जैसा कि ऑनलाइन टैक्सी बुकिंग सेवा पर उपलब्ध है और उक्त नंबर का उल्लेख प्रत्यर्थी-आवेदक द्वारा प्रस्तुत दावा प्रपत्र में किया गया था।

“इस न्यायालय ने दोनों पक्षों के बयानों का अवलोकन किया है और पाया है कि विचाराधीन कार का उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए किया गया था और उत्तरदाता पॉलिसी के नियमों और शर्तों के अनुसार बीमा दावे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। फिर भी कार के मालिक को नुकसान हुआ है और बिना अपनी गलती के चालक की दुर्घटना के दौरान मौके पर ही मृत्यु हो गई है, इसलिए बीमा कंपनी दावेदार को गैर-मानक आधार पर दावे का 50 प्रतिशत भुगतान करने की हकदार है। ” (24) उसी के अवलोकन से पता चलता है कि स्थायी लोक अदालत (सार्वजनिक उपयोगिता सेवा), चंडीगढ़ द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष यह है कि विचाराधीन कार का उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा था और बीमा कंपनी पॉलिसी के नियमों और शर्तों के अनुसार बीमा दावे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं थी। स्थायी लोक अदालत (सार्वजनिक उपयोगिता सेवा), चंडीगढ़ द्वारा कोई कारण या स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि किस आधार पर स्थायी लोक अदालत (सार्वजनिक उपयोगिता सेवा), चंडीगढ़ ने बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन होने और बीमा पॉलिसी के अनुसार, याचिकाकर्ता कंपनी उक्त दावे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होने के बावजूद 50 प्रतिशत तक का दावा देना उचित समझा। वर्तमान मामले में बीमा कंपनी द्वारा किए गए विशिष्ट कथन से भी इनकार नहीं किया गया है कि विचाराधीन वाहन में एक पीली नंबर प्लेट दिखाई गई है जिसका उपयोग मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत यात्री वाहनों/टैक्सी सेवाओं के लिए किया जाना है। (25) यह भी स्पष्ट है कि पॉलिसी कवर नोट, जिस पर याचिकाकर्ता-बीमा कंपनी ने अनुबंध सी-2 (रिट याचिका में अनुबंध पी-1) के रूप में बीमा के लाभ का दावा करने के लिए भरोसा किया था, ने स्पष्ट रूप से पहले पृष्ठ पर ही उपयोग करने की सीमाओं को निर्दिष्ट किया था। इसके अलावा, इस नीति का शीर्षक 'निजी कार पैकेज नीति' था। इसलिए, यह नहीं माना जा सकता है कि प्रतिवादी-आवेदक को 'निजी कार' और 'यात्री वाहन/टैक्सी के रूप में उपयोग की जाने वाली कार' के बीच के अंतर के बारे में पता नहीं था। यह प्रत्यर्थी-आवेदक का मामला नहीं है कि वह कार को टैक्सी के रूप में उपयोग करने का इरादा रखता था और यह कि पंजीकरण मूल बीमा कंपनी लिमिटेड और अन्य v.

263

परमानेंट लोक अदालत और एक और (विनोद एस. भारद्वाज, जे.)

टैक्सी के रूप में कार का प्रमाण पत्र विधिवत बीमा कंपनी को सौंप दिया गया था। प्रत्यर्थी-आवेदक एक टैक्सी संचालक होने के नाते निश्चित रूप से आवश्यक पंजीकरण के अंतर को जानता था। टैक्सी के रूप में वाहन का उपयोग वाहन पर चिपकाई गई पीली नंबर प्लेट से स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। प्रत्यर्थी-आवेदक द्वारा दावा आवेदन के साथ-साथ उसके द्वारा दायर अलग रिट याचिका में यह भी नहीं कहा गया है कि टैक्सी के रूप में उपयोग की जाने वाली कार को दर्शाने वाले वाहन का पंजीकरण प्रमाण पत्र उसके द्वारा बीमा कंपनी को प्रदान नहीं किया गया था और इस तरह सभी सामग्री जानकारी स्पष्ट रूप से प्रस्तुत की गई थी। इसके अलावा, प्रतिवादी-याचिकाकर्ता द्वारा यह भी विवादित नहीं है कि दुर्घटना के समय वाहन में यात्रा कर रहे यात्री यश गोयल थे और उन्हें चोटें आई थीं। Cr.P.C की धारा 161 के तहत दर्ज अपने बयान में, यश गोयल ने कहा कि उन्होंने Rs.2200-की राशि के लिए पंचकुला आने के लिए वाहन किराए पर लिया था। यह भी विवाद में नहीं है कि जांच एजेंसी द्वारा की गई जांच के अनुसार, सड़क के बीच में वाहन खड़ा करने वाले ट्रैक्टर-ट्रॉली के मालिक के खिलाफ सक्षम अदालत के समक्ष कार्यवाही शुरू की गई है और आगे बढ़ाया जा रहा है। उपरोक्त समकालीन साक्ष्य और परिस्थितियाँ स्पष्ट रूप से सुझाव देती हैं कि प्रतिवादी-आवेदक न केवल टैक्सी सेवाओं के व्यवसाय में शामिल है, बल्कि यह भी कि वाहन को तीसरे व्यक्ति-यात्री द्वारा किराए पर लिया गया था। इस संबंध में एक विशिष्ट निष्कर्ष स्थायी लोक अदालत (सार्वजनिक उपयोगिता सेवा), चंडीगढ़ द्वारा भी दर्ज किया गया था। पॉलिसी कवर नोट में उपयोग करने के लिए अस्वीकरण/सीमाओं में वाहन के किराए और पुरस्कार के लिए उपयोग किए जाने की स्थिति में दायित्व को स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है। इस समय यह मान लेना समझ से बाहर है कि प्रत्यर्थी-आवेदक (जो एक पेशेवर टैक्सी संचालक है) को उपरोक्त सीमा के बारे में पता नहीं था, विशेष रूप से जब उक्त सीमा बीमा कवर नोट के पहले पृष्ठ पर ही उपलब्ध है। इसके अलावा यह किसी भी छोटे फ़ॉन्ट या इटैलिक में नहीं है जो अवैध हो सकता है। यह भी प्रत्यर्थी-आवेदक का मामला नहीं है कि बहिष्करण के नियमों और शर्तों के बारे में उसे जानकारी नहीं दी गई थी, बावजूद इसके कि उसने पूर्ण और सही तथ्यों का खुलासा किया था। इसलिए, प्रत्यर्थी-आवेदक द्वारा केवल एक सुझाव के अलावा कि केवल इसलिए कि दुर्घटना के समय वाहन में एक और यात्री था, यह स्थापित नहीं करेगा कि वाहन का उपयोग किराए और पुरस्कार के लिए किया जा रहा था, उसके दावे का समर्थन करने के लिए रिकॉर्ड पर और कुछ भी उपलब्ध नहीं है। (26) प्रत्यर्थी की ओर से तर्क दिए गए-आवेदक कि यदि चालक बिना 264 के किसी यात्री को लाया है

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

(28) इसके अलावा, कानून यह अनिवार्य करता है कि बीमित वाहन को पॉलिसी कवर नोट में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अनुसार संचालित किया जाना चाहिए और इसके किसी भी उल्लंघन के लिए उसे अस्वीकार करने सहित परिणाम भुगतने होंगे। गैर-मानक आधार पर मुआवजे का दावा करने का अधिकार किसी व्यक्ति को तभी मिलेगा जब ऐसा उल्लंघन तकनीकी प्रकृति का हो और पॉलिसी के सामग्री/आवश्यक नियमों और शर्तों का उल्लंघन न हो। गैर-मानक दावों के निपटारे की पात्रता यह निर्धारित करती है कि किसी शर्त के उल्लंघन के लिए बीमित व्यक्ति या उसके एजेंट को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए या यह कि उल्लंघन जानबूझकर नहीं किया गया था या बीमित व्यक्ति के इरादे प्रामाणिक थे या यहां तक कि जहां दुर्घटना का उल्लंघन से कोई संबंध नहीं था, तब भी दावे का सम्मान किया जा सकता है। (29) भार और पुरस्कार के उद्देश्य से वाहन का उपयोग किए जाने की स्थिति में देयता का स्पष्ट बहिष्कार, पक्षों के इरादे को स्पष्ट रूप से दर्शाता है और यह कि उक्त शर्त बीमा कंपनी के जोखिम को कम करने के निर्णय के लिए आवश्यक और अभिन्न थी। प्रत्यर्थी-आवेदक उपरोक्त धारणा को स्पष्ट रूप से दूर कर सकता था और मूल बीमा कंपनी लिमिटेड को रिकॉर्ड पर रखकर अपने वास्तविक इरादे को स्थापित कर सकता था।

265

परमानेंट लोक अदालत और एक और (विनोद एस. भारद्वाज, जे.)

(30) जहां तक जितेंद्र कुमार (सुप्रा) के मामले में फैसले का संबंध है, विचाराधीन वाहन आग के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था और यह चालक/मालिक की ओर से किसी भी कार्य या चूक के कारण नहीं है। यह उक्त पहलू पर था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि केवल इसलिए कि चालक के पास वैध लाइसेंस नहीं था, दावे को अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकता है क्योंकि हुई क्षति का वाहन चलाने के साथ कोई संबंध नहीं था। इस प्रकार, अस्वीकृति का कारण, यहां तक कि दावे के कारण से दूर से जुड़ा नहीं होना, इसलिए, मालिक को लाभ का हकदार ठहराया गया था। उक्त प्रस्ताव वर्तमान मामले में लागू नहीं होगा क्योंकि प्रतिबंध किराए और इनाम के बदले वाहन के उपयोग के लिए था और जिस समय दुर्घटना हुई थी, उस समय विचाराधीन वाहन का उपयोग किराए और इनाम के लिए टैक्सी के रूप में किया जा रहा था; और एक यात्री उसी में यात्रा कर रहा था। (31) बी. वी. नागराजू (सुप्रा) के फैसले का संदर्भ भी गलत है और यह वर्तमान मामले के तथ्यों पर भी लागू नहीं होता है। उपरोक्त मामले में, नीति व्यापक थी और 266

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

विचाराधीन वाहन को माल वाहन के रूप में पंजीकृत और बीमा किया गया था। यह केवल आरोप लगाया गया था कि माल वाहन में बैठने वाले यात्रियों की संख्या उन यात्रियों से अधिक थी जिन्हें अनुमति दी गई थी। उक्त उपयोग को केवल एक अनियमितता माना गया और अनुबंध/नीति के नियमों और शर्तों का कोई मौलिक उल्लंघन नहीं माना गया। वर्तमान मामले में, वाहन एक यात्री वाहन के रूप में पंजीकृत नहीं था और एक निजी वाहन के रूप में पंजीकृत था। इसलिए, उल्लंघन बीमा पॉलिसी के नियमों और शर्तों का भौतिक उल्लंघन था। इसी तरह, न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी (उपरोक्त) के निर्णय के साथ-साथ मैसर्स मॉडर्न इंसुलेटर (उपरोक्त) के मामले का संदर्भ आकर्षित नहीं किया जाएगा क्योंकि एक ऐसे मुद्दे के साथ वही सौदा है जहां बीमित व्यक्ति को नियम और शर्तों के बारे में पता नहीं था। इस मामले के अभिलेख पर उपलब्ध समकालीन साक्ष्य इसके विपरीत सुझाव देते हैं। बहिष्करण खंड स्पष्ट रूप से सुपाठ्य था और बीमा कवर नोट पर और पहले पृष्ठ पर ही निर्धारित किया गया था, जिसे छोड़ा नहीं जा सकता था। इसके अलावा, प्रतिवादी-आवेदक ने स्थायी लोक अदालत के समक्ष अपने मूल आवेदन में यह दावा नहीं किया था कि अपवर्जन खंड के बारे में उसे जानकारी नहीं दी गई थी। प्रत्यर्थी-आवेदक, जो एक टैक्सी संचालक है और टैक्सी सेवाएँ चलाता है और अपने स्वयं के वाहनों का मालिक भी है, को विभिन्न पंजीकरणों और बीमा नीतियों के बारे में पता होना माना जाएगा। यह समझना कठिन है कि स्थायी लोक अदालत (सार्वजनिक उपयोगिता सेवा), चंडीगढ़ के समक्ष दायर आवेदन में इस तरह की किसी भी दलील के न होने के बावजूद, यह निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए कि बीमा पॉलिसी के "अपवर्जन" खंडों के बारे में प्रतिवादी-आवेदक को जानकारी नहीं थी। (32) ऊपर देखे गए पहलू के साथ-साथ याचिकाकर्ता के वकील द्वारा दिए गए निर्णयों में निर्धारित अनुपात और प्रतिवादी-आवेदक के वकील द्वारा दिए गए निर्णयों की गैर-प्रयोज्यता को ध्यान में रखते हुए, मेरा विचार है कि स्थायी लोक अदालत (सार्वजनिक उपयोगिता सेवा), चंडीगढ़ बीमा कवर नोट के पहले पृष्ठ पर उपलब्ध वाहन के 'उपयोग की सीमाओं' की सराहना करने में विफल रहने में त्रुटि में पड़ गई, जो बीमा पॉलिसी की एक भौतिक शर्त को दर्शाती है। प्रत्यर्थी-आवेदक ने उक्त पहलू को छुपाया और/या उसके उल्लंघन में वाहन का उपयोग किया। इस तरह के उल्लंघन को अनजाने में या वास्तविक नहीं माना जा सकता है। यह सुझाव देने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि सभी मामलों में, प्रतिवादी-आवेदक द्वारा याचिकाकर्ता-बीमा कंपनी को पूरी जानकारी का विधिवत खुलासा किया गया था। इस प्रकार सामग्री जानकारी का एक सचेत गैर-प्रकटीकरण होता है जो बीमा कंपनी के लिए जोखिम को कम करने के लिए महत्वपूर्ण था।

मूल बीमा कंपनी लिमिटेड और एक अन्य v.

267

परमानेंट लोक अदालत और एक और (विनोद एस. भारद्वाज, जे.)

(34) यह एक अच्छी तरह से स्थापित सौहार्दपूर्ण नियम है कि बीमा का संपर्क एक अनुबंध 'उबेर्रिमा फिडेस' है और बीमित व्यक्ति की ओर से पूर्ण सद्भावना होनी चाहिए, जो बीमाकर्ता के लिए प्रासंगिक भौतिक तथ्यों का पूर्ण प्रकटीकरण करने के लिए एक गंभीर दायित्व के तहत है ताकि प्रस्ताव को स्वीकार करने या न करने से पहले ध्यान में रखा जा सके। माननीय उच्चतम न्यायालय ने एल. आई. सी. ऑफ इंडिया बनाम श्रीमती के मामले में निर्णय दिया। जी. एम. चन्नबसम्मा 4 (पृष्ठ 393 पर) कि बीमित व्यक्ति के उपरोक्त शुल्क को कम नहीं किया जा सकता है। बीमा पक्षों के बीच एक अनुबंध होने के कारण, प्रत्येक पक्ष को बीमा के लाभ का दावा करने के लिए सौदेबाजी के अपने अंत को बनाए रखना होता है। जब जोखिम की हामीदारी कुछ बहिष्करणों के अधीन है, तो नीति के नियमों और शर्तों के उल्लंघन के बावजूद दावे की अनुमति देना पक्षों के बीच अनुबंध की शर्तों को फिर से लिखने और बहिष्करणों को निरर्थक बनाने के बराबर है। स्पष्ट रूप से, इस तरह की सहानुभूति का प्रयोग समीक्षा के दायरे से परे है और जब तक कि परिस्थितियां यह नहीं दर्शाती हैं कि उल्लंघन न तो मौलिक है और न ही सामग्री और जोखिम को कम करने के निर्णय के लिए प्रासंगिक नहीं था या दावा की घटना किसी भी तरह से संबंधित नहीं थी। 4 ए. आई. आर 1991 एस. सी. 392 268

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

(36) इसलिए, No.CWP-16427-2022 वाली याचिका का शीर्षक 'द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एंड ए. एन. आर.' है। स्थायी लोक अदालत बनाम स्थायी लोक अदालत और एक अन्य की अनुमति है और स्थायी लोक अदालत (सार्वजनिक उपयोगिता सेवा), चंडीगढ़ द्वारा पारित विवादित पुरस्कार दिनांक 26.05.2022 को अलग कर दिया गया है। दूसरी ओर, 'वरुण भसीन बनाम स्थायी लोक अदालत, चंडीगढ़ और अन्य' शीर्षक वाली No.CWP-25127-2022 वाली याचिका को परिणामस्वरूप खारिज कर दिया जाता है। रिपोर्टर-अतुल भाटिया